

मीरा कुमार
MEIRA KUMAR



सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF SOCIAL
JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

13 फरवरी, 2006


प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय विकलांगजन नीति का लोकार्पण करने में गौरव की अनुभूति हो रही है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करता है और निःशक्त व्यक्तियों समेत सभी के लिए एक समरस समाज की परिकल्पना करता है। हाल के वर्षों में समाज की सोच में निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन आया है। अधिकांश निःशक्त व्यक्ति बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए प्रभावी पहुंच हो।

2. निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार की नीतियों की झलक अधिनियमों, योजनाओं और निःशक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास हेतु जनशक्ति के विकास के लिए स्थापित संस्थानों के माध्यम से मिलती है। तथापि, राष्ट्रीय विकलांगजन नीति के संबंध में एक विस्तृत दस्तावेज की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी।

3. मैं अपने साथियों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण में लगे गैर-सरकारी संगठनों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस राष्ट्रीय नीति दस्तावेज को तैयार करने में अपने बहुमूल्य सुझाव देकर योगदान दिया है।

4. मैं आशा करती हूँ कि सभी संबंधित सरकारें, गैर-सरकारी संगठन और विशेषज्ञ निःशक्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठावेंगे।


मीरा कुमार (श्रीमती)

राष्ट्रीय विकलांग जन नीति

प्रस्तावना

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करता है तथा विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज का अधिदेश देता है। हाल के वर्षों में, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा महसूस किया गया है कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि उन्हें समान अवसर मिले तथा उनकी पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुंच हो।

2. जनगणना, 2001 के अनुसार, भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, चलन संबंधी और मानसिक विकलांगताएं शामिल हैं। 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विकलांग व्यक्तियों की 49 प्रतिशत आबादी साक्षर है और केवल 34 प्रतिशत नियोजित है। चिकित्सीय पुनर्वास संबंधी पूर्व के महत्व का स्थान अब सामाजिक पुनर्वास ने ले लिया है। विकलांग व्यक्तियों की क्षमता की अधिक स्वीकृति और उनकी क्षमताओं के आधार पर समाज में उन्हें मुख्यधारा में लाने पर बल दिया गया है। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन विधान अधिनियमित किए हैं अर्थात् :

- (i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में शिक्षा, रोजगार, बाधा-मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान है;
- (ii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में चार श्रेणियों के लिए कानूनी संरक्षण और यथासंभव स्वतंत्र जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित करने का प्रावधान है; और
- (iii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने के लिए जनशक्ति विकास से संबंधित है।

3. कानूनी ढांचे के अलावा, व्यापक आधारभूत संरचना को बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक जनशक्ति का विकास करने के लिए, सात राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं अर्थात्-

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून।
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।
- अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई।
- स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक।
- राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नै।

4. उपर्युक्त राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा, पांच संयुक्त पुनर्वास केन्द्र, चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र और 120 जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्र भी हैं जो विकलांगजनों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भी अनेक संस्थान जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलूर; आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, मुंबई; अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर; केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची आदि हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के अंतर्गत संस्थान हैं जो पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, 250 निजी संस्थाएं पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती हैं।

5. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान कर रहा है।

6. पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर तथा जिला स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का कार्य सौंपा गया है।

7. भारत एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत विकलांग व्यक्तियों हेतु समावेशी, बाधामुक्त और अधिकार आधारित समाज के प्रति कार्रवाई हेतु बीवाको सहस्राब्दि ढांचे का हस्ताक्षरकर्ता भी है। भारत, इस समय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन और इनकी गरिमा के प्रति संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की वार्ताओं में भी भाग ले रहा है।

राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज

8. इस नीति में यह मान्यता है कि विकलांग व्यक्ति देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इसमें एक ऐसा वातावरण सृजित करने के लिए अनुरोध किया गया है जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करे। यह नीति मुख्यतः निम्नलिखित पर केन्द्रित होगी:

I. विकलांगता निवारण

9. चूंकि अनेक मामलों में विकलांगता का निवारण किया जा सकता है, अतः विकलांगताओं के निवारण पर अधिक बल होगा। ऐसी बीमारियों, जिनसे विकलांगता होती है, के निवारण कार्यक्रम तथा गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद विकलांगता निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में जनसाधारण के बीच जागरूकता को त्वरित किया जाएगा और उनका कवरेज बढ़ाया जाएगा।

II. पुनर्वास उपाय

10. पुनर्वास उपायों को तीन पृथक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) विकलांगजन पुनर्वास, जिसमें शीघ्र पता लगाना और उपचार, परामर्श व विभिन्न चिकित्सा उपचार तथा सहायक यंत्र और उपकरण शामिल हैं, इसमें पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास भी शामिल है; (2) शैक्षिक पुनर्वास जिसमें व्यावसायिक शिक्षा देना शामिल; और (3) समाज में गरिमामय जीवन यापन के लिए आर्थिक पुनर्वास।

II. क. भौतिक पुनर्वास कार्य नीति

शीघ्र पता लगाना और उपचार

11. विकलांगता का शीघ्र पता लगाने और औषधियों से अथवा बिना औषधियों से विकलांगता का उपचार करने से विकलांगता के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए शीघ्र पता लगाने तथा शीघ्र उपचार पर बल दिया जाएगा और इस ओर से जरूरी सुविधाएं सृजित की जाएंगी। सरकार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उपाय करेगी।

ख. परामर्श और चिकित्सा उपचार

12. राज्य सरकारों, स्थानीय स्तरीय संस्थाओं, और विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता के संघों सहित गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से, देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए विकलांगजन पुनर्वास उपायों का विस्तार किया जाएगा। इन उपायों में परामर्श, विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की क्षमता के सुदृढीकरण, फिजियोथैरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, शल्य क्रिया से सुधार और उपचार, दृष्टि मूल्यांकन, दृष्टि संवर्धन, वाणी चिकित्सा, श्रवणीय पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा शामिल हैं।

13. वर्तमान में, पुनर्वास सेवाएं मुख्यतः शहरी क्षेत्रों और इनके आस-पास ही हैं। चूंकि 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अतः शामिल न किए गए और सेवा-रहित क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। न्यूनतम मानक, जिन्हें निर्धारित किया जाएगा, बनाए रखने के लिए, निजी स्वामित्व वाले पुनर्वास सेवा केन्द्रों को विनियमित किया जाएगा।

14. ग्रामीण और सेवारहित क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार की सहायता से नए जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

15. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एकरेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविसट (आशा) के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या विशेष रूप से समाज के दुर्बल वर्गों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता है। आशा, कार्यक्रम की अन्य बातों के साथ-साथ, सबसे निचले स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक सेवाओं की देखभाल भी करेगा।

(ग) सहायक यंत्र

16. भारत सरकार, टिकाऊ और वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए आधुनिक मानकों वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की अधिप्राप्ति में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करती रही है। ये विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

17. विकलांग व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रोस्थेसिस एवं आर्थोसिस, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सर्जिकल फुट वियर जैसे चल सहायक यंत्र और दैनिक जीवन के कार्यकलापों के लिए सहायक यंत्र, सीखने वाले उपकरण (ब्रेल राइटिंग उपकरण, डिक्टाफोन, सीडी प्लेयर/टेप रिकार्डर) कम दृष्टि के सहायक यंत्र, विशेष चल सहायक यंत्र, अनेक प्रकार के श्रव्य सहायक यंत्र, शैक्षिक किट, संचार

सहायक यंत्र एवं सहायक और चेतावनी देने वाले यंत्र तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त यंत्रों जैसे सहायक यंत्र प्रदान किए जाते हैं। इन सहायक यंत्रों की उपलब्धता का विस्तार अब तक शामिल न किए गए क्षेत्रों और अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

18. विकलांग व्यक्तियों के लिए हाई-टेक सहायक यंत्रों का निर्माण करने वाले निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

19. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधनों की आवश्यकता का जायजा लिया जाएगा और ऐसी विकास योजना बनायी जाएगी जिससे कि पुनर्वास कार्यनीतियां व्यावसायिक जनशक्ति की कमी के कारण प्रभावित न हों।

II. ख. विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा

20. शिक्षा सामाजिक व आर्थिक विकास का सबसे कारगर माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 21क जिसमें शिक्षा के मूलभूत अधिकार की गारंटी है, और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। जनगणना 2001 के मुताबिक, 55% विकलांग व्यक्ति अनपढ़ हैं। यह बहुत बड़ा प्रतिशत है। विकलांग व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाए जाने की आवश्यकता है।

21. सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा देना है। इन बच्चों में विकलांग बच्चे भी आते हैं। 15 - 18 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को भी विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा योजना (आई0ई0डी0सी0) के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

22. निःशक्त बच्चों को, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, कई शिक्षा विकल्प, शिक्षण साधन और उपकरण, आवागमन सहायता, अन्य सहायक सेवाएं इत्यादि भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें मुक्त शिक्षा पद्धति और ओपन स्कूल, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, विशेष स्कूल, जहां आवश्यक है वहां गृह आधारित शिक्षा, परिभ्रामी अध्यापक मॉडल, उपचारी शिक्षा, अंशकालिक कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास और

व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं ।

23. राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आई ई डी सी स्कीम के अंतर्गत विशेष शिक्षकों, पुस्तकों ओर स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन, दृष्टि विकलांगों के लिए रीडर भत्ता, होस्टल भत्ता, उपस्कर लागत, वास्तुशिल्पीय बाधाओं का हटाना/परिवर्तन, अनुदेशन सामग्री की खरीद/उत्पादन, सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण और संसाधन कमरों के लिए उपस्कर जैसी विभिन्न सुविधाओं हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

24. नियमित सर्वेक्षणों द्वारा विकलांग बच्चों की पहचान, उपयुक्त स्कूलों में इनका दाखिला और इन्हें अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने तक शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से संयुक्त प्रयास किए जाएंगे । सरकार विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त तरीके की शिक्षण-सामग्री और पुस्तकों, प्रशिक्षित एवं सुग्राहित शिक्षकों और ऐसे स्कूल भवनों जो सुगम्य और विकलांग अनुकूल हों, की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी ।

25. भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के बाद अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है । सरकार छात्रवृत्तियों को जारी रखेगी और इनको व्यापक बनाएगी ।

26. सुविधारहित/अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थानों को अनुकूल बनाकर या संस्थानों की शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलापों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा । व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ।

27 विकलांग व्यक्तियों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में पहुंच प्रदान की जाएगी ।

II. (ग). विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास

28. विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास में संगठित सेक्टर में मजदूरी भुगतान रोजगार और स्व-रोजगार दोनों शामिल हैं । व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सेवाओं का समर्थनकारी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि विकलांग व्यक्तियों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उत्पादनकारी और लाभप्रद रोजगार के अवसर बढें । विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास की कार्य नीतियां इस प्रकार होंगी:-

(i) सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में अभिज्ञात पदों पर भारत सरकार के प्रतिष्ठानों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियोजन में 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में अभिज्ञात पदों पर आरक्षण की स्थिति क्रमशः 3.07, 4.41, 3.76 और 3.18 प्रतिशत है। पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में, समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में आरक्षण की स्थिति क्रमशः 2.78%, 8.54%, 5.04% और 6.75% है। सरकार, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र में अभिज्ञात पदों पर आरक्षण सुनिश्चित करेगी। अभिज्ञात पदों की सूची को 2001 में अधिसूचित किया गया था। इस सूची की समीक्षा की जाएगी तथा उसे अद्यतन बनाया जाएगा।

(ii) निजी क्षेत्र में मजदूरी रोजगार

विकलांग व्यक्तियों को, उनका उपयुक्त कौशल विकास करके, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों की क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उनका उपयुक्त कौशल विकास करने में लगे हुए व्यावसायिक पुनर्वास और प्रशिक्षण केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए, विकलांग व्यक्तियों को बाजार आवश्यकता के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्सहन पुरस्कार, कर रियायतें आदि जैसे सकारात्मक उपाय किए जाएंगे।

(iii) स्वरोजगार

संगठित सेक्टर में रोजगार अवसरों में वृद्धि की कमी को ध्यान में रखते हुए, विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे व्यावसायिक शिक्षा और प्रबन्धन प्रशिक्षण के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एन0एच0एफ0डी0सी0 से आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने की विद्यमान प्रणाली में सुधार किया जाएगा ताकि पारदर्शी और दक्ष प्रक्रिया से ऋण आसानी से उपलब्ध हो। सरकार प्रोत्साहन, कर रियायतें, शुल्क कर छूट, विकलांग व्यक्तियों के उद्यमों से सरकार द्वारा माल और सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेने जैसे उपायों से भी स्वरोजगार को प्रोत्साहित करेगी। विकलांग व्यक्तियों द्वारा गठित स्वसहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

III. विकलांग महिलाएं

29 जनगणना 2001 के अनुसार, 93.01 लाख विकलांग महिलाएं हैं, जो कुल विकलांग आबादी का 42.46 प्रतिशत है। विकलांग महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा की जरूरत होती है। विकलांग महिलाओं की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए, उनके लिए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे। विकलांग महिलाओं के लिए विशेष शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। परित्यक्त विकलांग महिलाओं/लड़कियों को, परिवारों द्वारा अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर, उनको घर चलाने के लिए सहायता और लाभकारी रोजगार कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके उनके पुनर्वास के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देगी जहां विकलांग महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कुल लाभार्थियों का कम से कम 25% सुनिश्चित किया गया हो।

30. विकलांग महिलाओं के लिए अल्पावधिक निवास गृह, कामकाजी विकलांग महिलाओं के लिए होस्टल और वृद्ध विकलांग महिलाओं के लिए वृद्ध आश्रम उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

31. यह देखा गया है कि विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में भारी मुश्किलें आती हैं। सरकार विकलांग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगी ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए सेवाओं को किराए पर ले सकें। ऐसी सहायता दो बच्चों तक सीमित होगी और यह दो वर्षों से अधिक नहीं होगी।

IV. विकलांग बच्चे

32. विकलांग बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग है और इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार निम्न के लिए प्रयास करेगी:

- (क) विकलांग बच्चों के देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना;
- (ख) समर्थित वातावरण को सृजित करते हुए गरिमा और समानता के विकास के अधिकार को सुनिश्चित करना जहां बच्चे विभिन्न कानूनों के अनुसार अपने अधिकार, समान सुविधाएं और पूर्ण भागीदारी का प्रयोग कर सकें;

- (ग) विकलांग बालकों को विशेष पुनर्वास सेवाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति प्रभावी पहुंच और इसका समावेश सुनिश्चित करना; और
- (घ) गंभीर विकलांगताग्रस्त बच्चों के विकास का अधिकार और उनकी विशेष आवश्यकताओं को देखरेख और संरक्षण की मान्यता सुनिश्चित करना ।

V. बाधामुक्त वातावरण

33. बाधामुक्त वातावरण एक ऐसा वातावरण होता है जो विकलांग व्यक्तियों को भवनों, कार्यशाला आदि के भीतर सुरक्षित और आराम से और सुविधाओं के प्रयोग करने में समर्थ बनाता है । बाधामुक्त वातावरण का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो व्यक्तियों के स्वतंत्र कार्यों में सहायता करता है ताकि वे प्रत्येक दिन के कार्यकलापों में बिना किसी की सहायता के भाग ले सकें । इसलिए, सार्वजनिक प्रयोग के लिए बिल्डिंग/स्थान/परिवहन प्रणाली को अधिकतम संभव सीमा तक बाधामुक्त बनाया जाएगा ।

VI. विकलांगता प्रमाण-पत्र

34. भारत सरकार ने विकलांगता निर्धारण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आसान, पारदर्शी और सेवार्थी (क्लाइंट) सहायक प्रक्रियाएं अपनाकर विकलांग व्यक्ति को कम से कम समय में बिना किसी कठिनाई के, विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके ।

VII. सामाजिक सुरक्षा

35. विकलांग व्यक्ति, उनके परिवार और देखभाल करने वाले व्यक्ति विकलांगों के दैनिक जीवन, चिकित्सा देखभाल, परिवहन, सहायक यंत्रों के रखरखाव इत्यादि के लिए अतिरिक्त खर्च करते हैं । अतः उन्हें विभिन्न साधनों द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है । केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों और इनके अभिभावकों को करों में छूट दे रही है । राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी बेरोजगारी भत्ता या विकलांगता पेंशन प्रदान कर रहे हैं । राज्य सरकारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।

36. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त अनेक विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता, अपने बच्चों के कल्याण को लेकर असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों का क्या होगा । राष्ट्रीय

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति कल्याणार्थ न्यास, स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी संरक्षकत्व प्रदान करता रहा है। वे उपेक्षित और परित्यक्त गंभीर विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों को अभिभावकता के तौर पर सहायता देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्थित संरक्षकता योजना को कार्यान्वित करते रहे हैं। वर्तमान में यह योजना कुछ जिलों में लागू है। इसे अन्य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

VIII. गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना

37. राष्ट्रीय नीति में इस बात को स्वीकार किया गया है कि गैर-सरकारी संगठन सेक्टर, सरकार के प्रयासों में अभिवृद्धि करने के लिए वहनीय सेवाएं प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थानिक तंत्र है। गैर-सरकारी संगठन सेक्टर एक गतिमान एवं विकासशील क्षेत्र है। विकलांगों को सेवाएं प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ गैर-सरकारी संगठन मानव संसाधन विकास और अनुसंधान क्रियाकलापों को भी कर रहे हैं। सरकार इन्हें नीति निर्धारित करने, योजना बनाने, कार्यान्वयन और मानीटरिंग में सक्रिय रूप से शामिल कर रही है और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इनकी सलाह ले रही है। स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों और क्षेत्रों के बीच असमान विकास को ठीक करने के लिए स्वैच्छिक सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना, नीति बनाने और कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विकलांगता मुद्दों पर गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क को बढ़ाया जाएगा। उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, गैर-सरकारी संगठनों के बीच नेटवर्किंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे:

- (i) विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की एक डायरेक्टरी तैयार की जाएगी। इसमें सभी गैर-सरकारी संगठनों को उनके मुख्य क्रिया-कलापों सहित भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा समुचित रूप से दर्शाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में, उनकी संसाधन स्थिति-वित्तीय एवं श्रम शक्ति इत्यादि को भी दर्शाया जाएगा। विकलांग व्यक्ति संगठन, परिवार संघ और विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों के समर्थक समूहों को भी डायरेक्टरी में पृथक रूप में दिखाया जाएगा;
- (ii) गैर-सरकारी संगठन आन्दोलन के विकास में क्षेत्रीय/प्रादेशिक असंतुलन हैं। सेवा-विहीन एवं अगम्य क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने और वरीयता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

ऐसे क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए विख्यात गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा;

- (iii) गैर-सरकारी संगठनों को, आपस में संपर्क के माध्यम से न्यूनतम मानक, आचार संहिता एवं नीति बनाने तथा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा;
- (iv) गैर सरकारी संगठनों को मानव संसाधन के अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले से ही प्रदान किए जा रहे प्रबन्ध कौशल में प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठन - सरकार की सहभागिता में सुधार के लिए पारदर्शिता, जिम्मेवारी, प्रक्रियात्मक सरलीकरण, इत्यादि मार्गदर्शी कारक होंगे; और
- (v) गैर-सरकारी संगठनों को सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए, अपने संसाधन जुटाने और विकलांगता के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सहायता को योजनाबद्ध तरीके से कम करने पर भी विचार किया जाएगा जिससे कि उपलब्ध संसाधनों के अंदर, सहायता प्रदान किए जाने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में वृद्धि की जा सके। अन्ततः गैर सरकारी संगठनों को संसाधन जुटाने में प्रशिक्षित किया जाएगा।

IX. विकलांग व्यक्तियों के संबंध में नियमित सूचना का संग्रहण

38. विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं संबंधी सूचना को नियमित रूप से एकत्र, संकलित और विश्लेषित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1981 से दस वर्षों में एक बार विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं संबंधी सूचना नियमित रूप से एकत्र करता रहा है। जनगणना ने भी जनगणना 2001 से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कम से कम पांच वर्षों में एक बार सूचना संग्रहित करेगा। इन दो एजेंसियों द्वारा आंकड़े एकत्र करने में विकलांगता की स्वीकृत परिभाषाओं में अन्तरों का समाधान किया जाएगा।

39. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेब-साइट तैयार की जाएगी। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों को अपनी वेब-साइट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे स्क्रीन

रीडिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दृष्टि बाधित लोगों को भी इसका लाभ मिल सके ।

X. अनुसंधान

40. विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, अनुसंधान कार्य में सहायता दी जाएगी । यह मदद उनके सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, विकलांगता के कारणों, बाल शिक्षा पद्धतियों, प्रयोक्ता-अनुकूल सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के विकास और विकलांगता-संबंधी विषयों के आधार पर होगी । इससे विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार आएगा और सिविल समाज उनकी चिंताओं पर ध्यान दे सकेगा । जहां कहीं भी विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता पर अनुसंधान किए जाते हैं, उनकी अथवा उनके परिवार के सदस्य की अथवा देखभालकर्ता की सहमति अनिवार्य है ।

XI खेल-कूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन

41. चिकित्सीय और सामुदायिक भावना के लिए खेलों के योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता है । विकलांग व्यक्तियों को खेल-कूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है । सरकार उन्हें विभिन्न खेलों, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्य-कलापों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी ।

XII. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

42. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके हैं । इस अधिनियम के कार्यान्वयन और विकलांगता के क्षेत्र में हुए विकास से प्राप्त अनुभवों के मद्देनजर, इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं । स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके, ये संशोधन किए जाएंगे । भारतीय पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास अधिनियमों की भी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई, तो इनमें भी अपेक्षित संशोधन किए जाएंगे ।

हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र

निवारण, शीघ्र पहचान और उपचार

43. विकलांगताओं की शीघ्र पहचान एवं निवारण सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

- (i) टीकाकरण (बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को), सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा;
- (ii) बच्चों में विकलांगता का शीघ्र पता लगाने के लिए, चिकित्सा एवं अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को समुचित रूप से प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न किया जाएगा;
- (iii) चिकित्सा एवं अर्ध-चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, विकलांगता निवारण, शीघ्र पहचान और उपचार में प्रशिक्षण मॉड्यूल्स और सुविधाओं का विकास किया जाएगा;
- (iv) चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर, स्नातक डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता के निवारण, शीघ्र पता लगाने एवं उपचार संबंधी मॉड्यूल्य शामिल होंगे;
- (v) विकलांग व्यक्ति वाले परिवारों के लिए विकलांगता विशिष्ट मैनुअल भी बनाया जाएगा तथा यह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा;
- (vi) मानव संसाधन विकास संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि विशेष शिक्षा, क्लिनिकल मनोविज्ञान, फिजियोथैरेपी, व्यावसायिक थैरेपी, आडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी, व्यावसायिक परामर्श एवं प्रशिक्षण जैसी सहायता सेवाएं प्रदान करने और समाज कार्य के लिए आवश्यक कार्मिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं;
- (vii) आनुवंशिकी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं निष्कर्षों का उपयोग, मानसिक बीमारी सहित जन्मजात विकलांगता को कम करने के लिए समुचित रूप से किया जाएगा;
- (viii) विद्यमान स्वास्थ्य डिलीवरी सिस्टम के अंदर विकलांगता के प्रभावों को सीमित करने और अन्य विकलांगताओं के निवारण के लिए समुचित कार्य योजना बनाई जाएगी;
- (ix) नवयुवतियों, गर्भवती महिलाओं और प्रजनन अवधि में महिलाओं को पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल व स्वच्छता के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा । रोकथाम के लिए जागरूकता

कार्यक्रमों को, स्कूल-स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्तर पर, तैयार किया जाएगा; और

- (x) जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए बच्चों की जांच हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

II. पुनर्वास कार्यक्रम

44. चिकित्सा और पुनर्वास व्यावसायिकों की सहायता से तथा विकलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों, कानूनी संरक्षकों और समुदायों की भागीदारी से, चिकित्सकीय, शैक्षिक व सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम बनाए जाएंगे । सरकारी कार्यक्रमों की समाभिरूपता सुनिश्चित की जाएगी और निम्नलिखित विशेष उपाय किए जाएंगे :

- (i) संयुक्त पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । इन सेवाओं में मानव संसाधन विकास, शोध एवं दीर्घावधिक विशेषीकृत पुनर्वास शामिल है;
- (ii) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा । विकलांग व्यक्तियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों/सेवा प्रदान करने वाले स्व सहायता समूहों को पुनर्वास की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से शामिल किया जाएगा;
- (iii) गंभीर रूप से, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से जिला स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के तहत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा । वैकल्पिक रूप से, समुदाय और/अथवा पारिवारिक सहायता के बिना, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिरक्षा देखभाल संस्थाएं स्थापित करने के लिए पारिवारिक सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा; और
- (iv) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक और सामाजिक दक्षता प्रशिक्षण देने के लिए आवासीय पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु भी उपाय किए जाएंगे ।

III. मानव संसाधन विकास

45. पुनर्वास व्यावसायिक जनशक्ति का विकास निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाएगा :

- (i) स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स (दाइयां) आदि हैं;
- (ii) सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के कार्मिकों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण के लिए सहायता;
- (iii) सामुदायिक निर्णय निर्माताओं जैसे पंचायतों के सदस्यों, परिवारों के मुखिया आदि का प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण; और
- (iv) देखभाल करने वाले पारिवारिक सदस्यों का प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण ।

46. समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा, स्कूल-पूर्व शिक्षा आदि के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा । भिन्न विशेषज्ञता और स्तरों के निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएंगे:

- (i) समावेशी शिक्षा के लिए अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल्स;
- (ii) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री और उच्च स्तरीय कार्यक्रम; और
- (iii) गृह आधारित शिक्षा की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण तथा विकलांग वयस्कों/वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए देखभाल सेवाएं ।

47. भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास कार्मिकों के प्रशिक्षण की योजनाएं बनाने के लिए नोडल एजेंसी होगी । विकलांगता विशिष्ट प्रशिक्षण देने में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा तथा एक पांच वर्षीय कार्य योजना तैयार की जाएगी ।

IV. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा

48. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की सन 2020 तक

स्कूलपूर्व, प्राइमरी व माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त पहुँच हो । निम्नलिखित के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा :

- (i) स्कूलों (भवनों, प्रवेश मार्गों, शौचालयों, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, आदि) को सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए बाधामुक्त बनाना तथा उनकी इन स्कूलों तक पहुँच हो;
- (ii) शिक्षण का माध्यम और उसकी पद्धति को अधिकांश विकलांगता दशाओं के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूल बनाया जाएगा;
- (iii) तकनीकी/अनुपूरक/विशेषीकृत शिक्षा व्यवस्था स्कूल में ही अथवा एक सामान्य केन्द्र पर, जहां कुछ स्कूल आसानी से जा सकें, उपलब्ध करायी जाएगी;
- (iv) अध्यापन/शिक्षण औजार और सहायक यंत्र जैसे शैक्षिक खिलौने, ब्रेल/टाकिंग पुस्तिकाएं, उपयुक्त सॉफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे । सामान्य पुस्तकालयों, ई. पुस्तकालयों, ब्रेल लाइब्रेरियों एवं टाकिंग लाइब्रेरियों, स्रोत कक्षों आदि की स्थापना करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाएंगे;
- (v) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जाएगा तथा उनका विस्तार देश के अन्य भागों में किया जाएगा;
- (vi) विकलांग व्यक्तियों द्वारा आपसी बातचीत के लिए संकेत भाषा, वैकल्पिक व अभिवृद्धि संबंधी संप्रेषण माध्यमों को मान्यता दी जाएगी, इन्हें मानकीकृत किया जाएगा और लोकप्रिय बनाया जाएगा;
- (vii) विकलांगता क्षेत्रों की सुविधा की दृष्टि से विद्यालयों को ऐसी जगहों पर बनाया जाएगा जहां से यात्रा दूरी कम हो । विकल्प के तौर पर, समुदाय, राज्य एवं गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से व्यवहार्य यात्रा प्रबंध किए जाएंगे;
- (viii) माता-पिता अध्यापक परामर्श तथा शिकायत निवारण प्रणाली, स्कूलों में स्थापित की जाएगी;
- (ix) प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर विकलांग बालिकाओं की

संख्या और शिक्षा जारी रखने की वार्षिक समीक्षा करने के लिए पृथक व्यवस्था होगी;

- (x) अनेक विकलांग बच्चों, जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो सकते हैं, को विशेष स्कूलों से शैक्षिक सेवाएं मिलती रहेगी। विशेष स्कूलों को प्रौद्योगिकीय विकास पर आधारित समुचित रूप से रिमोडल्ड व रिऑरियंटिड किया जाएगा। ये स्कूल मुख्यधारा की समावेशी शिक्षा में शामिल होने के लिए विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता भी करेंगे;
- (xi) कुछ मामलों में, विकलांगता (इसके प्रकार और गंभीरता), निजी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के स्वरूप के कारण गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी;
- (xii) विभिन्न विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जाएगा जिसमें उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाएगा। गणित की पढ़ाई, केवल एक भाषा सीखना आदि जैसी कुछ रियायत देकर परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाएगा जिससे कि उसे विकलांगों के अनुकूल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, अधिक समय, कैलकुलेटर का प्रयोग, क्लाक्स तालिका का प्रयोग, लेखक का प्रयोग आदि जैसी सुविधाएं आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएंगी;
- (xiii) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे;
- (xiv) ज्ञान समाज के युग में, कंप्यूटर अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को कंप्यूटर के प्रयोग का समुचित ज्ञान हो;
- (xv) 6 साल तक की आयु के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी और आवश्यक उपचार किए जाएंगे ताकि वे समावेशी शिक्षा में भाग ले सकेंगे;
- (xvi) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केन्द्रों में शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

- (xvii) अनेक स्कूल विकलांगता के कारण छात्रों का नामांकन नहीं करते हैं । ऐसा मुख्य रूप से स्कूल प्राधिकारियों और शिक्षकों की विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण होता है । सभी स्कूलों में शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे;
- (xviii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में सहायता दिए जा रहे विशेष स्कूल, बढ़ती हुई समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केन्द्र बन जाएंगे । मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यकता के आधार पर नए विशेष स्कूल खोलेगा;
- (xix) गंभीर शिक्षण कठिनाइयों वाले वयस्कों के लिए वयस्क शिक्षण/फुरसत केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा;
- (xx) उच्च शिक्षा संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा । विकलांग छात्रों की शैक्षिक जरूरतों की देखरेख करने के वास्ते विकलांगता केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों, कालेजों और व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी । उन्हें विकलांग छात्रों के लिए कैम्पस में कक्षा, छात्रावास, कैफेटेरिया बनाने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि विकलांग छात्र वहां पहुंच सकें; और
- (xxi) अध्यापकों के प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, विकलांग बच्चों के प्रबंध संबंधी मुद्दों पर एक मॉड्यूल शामिल करना ।

49. मानव संसाधन विकास मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा ।

V. रोजगार

50. विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :

- (i) सरकार निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ एक संवाद शुरू करेगी जिससे इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद की जा सके;

- (ii) विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर, गंभीर रूप से विकलांग और एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, जिससे कि विकलांग व्यक्ति घर पर रहते हुए आय उपाजक कामधंधे कर सकें। विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखरेख करने वाले व्यक्तियों के रोजगार हेतु कोचिंग की व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाएगा;
- (iii) प्रशिक्षण केन्द्रों/फैक्टरी/उद्योग/कार्यालय आदि में बाधा-मुक्त प्रचालन के लिए विकलांग व्यक्तियों के वास्ते आवश्यक मशीन-डिजाइन, कार्यशाला एवं कार्य माहौल में बदलावों को आसान बनाना;
- (iv) विकलांग व्यक्तियों द्वारा उत्पादित माल और प्रदान की गई सेवाओं के विपणन में उपयुक्त एजेंसियों जैसे विपणन बोर्डों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, निजी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान करना; और
- (v) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के कवरेज में सुधार किया जाएगा जिससे कि उन्हें उनका 3 प्रतिशत देय अंश प्राप्त हो सके, जैसी सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्था है।

VI. बाधामुक्त वातावरण

51. विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण बनाने हेतु, निम्नलिखित कार्य नीतियां अपनाई जाएंगी :

- (i) सार्वजनिक भवन (समारोह या मनोरंजन संबंधी), सड़कों, सब-वे और पगडंडी, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टाप/अड्डों, बन्दरगाहों, हवाई अड्डों सहित परिवहन सुविधाओं, परिवहन माध्यमों (बस, ट्रेन, हवाई जहाज और समुद्री जहाज), खेल का मैदान, खुली जगह आदि को सुगम्य बनाया जाएगा;
- (ii) सभी सार्वजनिक समारोहों में संकेत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा;
- (iii) बाधामुक्त भवनों के निर्माण से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए, वास्तुकारों एवं सिविल इंजीनियरों की पाठ्यचर्या को संशोधित किया

जाएगा । सरकारी वास्तुकारों एवं इंजीनियरों से संबंधित इन विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा;

- (iv) बाधामुक्त निर्मित वातावरण के लिए व्यापक भवन उपविधियों और स्थान मानकों को पूर्ण रूप से अपनाया जाएगा । देश के सभी राज्यों, म्यूनिसिपल निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा द्वारा उपविधियों और स्थान मानकों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे । ये प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक प्रयोग के सभी बनाए गए नए भवन बाधामुक्त हों;
- (vi) राज्य परिवहन उपक्रम अपने वाहनों में विकलांग हितैषी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे । रेलवे चरणबद्ध तरीके से सभी गाड़ियों में बाधामुक्त कोच प्रदान करेगा । वे प्लेटफार्म भवनों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं को भी बाधामुक्त बनाएंगे;
- (vii) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कार्यालय जनसुविधाओं में अपने कर्मचारियों के लिए विकलांग हितैषी कार्यस्थल प्रदान करें । सुरक्षा मानक विकसित किए जाएंगे और इनका कड़ाई से पालन किया जाएगा;
- (viii) देश में विकलांगता सहायक सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे;
- (ix) विकलांग व्यक्तियों की सुविधा की दृष्टि से, सार्वजनिक उपयोग के सभी भवनों की लेखापरीक्षा की जाएगी । व्यावसायिक रूप से मान्यता प्राप्त आडिटर्स तैयार करने की जरूरत पड़ सकती है जिनकी सेवाओं का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा;
- (x) बैंकिंग प्रणाली को विकलांग व्यक्तियों के अधिकाधिक अनुकूल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा; और
- (xi) विकलांग व्यक्तियों की सम्प्रेषण जरूरतों को, सूचना सेवा और सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्य बनाकर, पूरा किया जाएगा । दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए सूचना प्रदान करने हेतु ब्रेल, टेप सेवा, बड़ी प्रिंट और अन्य उचित प्रौद्योगिकीयों का उपयोग किया जाएगा ।

VII. सामाजिक सुरक्षा

52. विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

- (i) विकलांग व्यक्तियों को दी गई कर राहत नीतियों की नियमित समीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी ताकि आवश्यक आयकर और अन्य कर राहत विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहे;
- (ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि और बेरोजगारी भत्ते को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रोत्साहित किया जाएगा; और
- (iii) भारतीय जीवन बीमा निगम विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए बीमा पॉलिसी प्रदान करता रहा है। विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सभी बीमा एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

VIII. अनुसंधान

53. विकलांग व्यक्तियों के लिए नई प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान के संदर्भ में शोध-परिणामों का व्यापक प्रसार किया जाएगा। निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा :

- (i) विकलांगता के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू, जिनमें, अन्य बातों के साथ, विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन और व्यवहार संबंधी पद्धतियां शामिल हैं;
- (ii) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित सामाजिक संकेतक विकसित करना ताकि अंतर्निहित समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके और विकलांग व्यक्तियों की पहुंच एवं उनके लिए अवसर बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आरंभ किए जा सकें;
- (iii) विकलांगतावार, विशेषकर उन व्यक्तियों, जो दुर्घटना और अन्य आपदाओं के कारण अपंग हो जाते हैं, की रोजगार स्थिति के बारे में सांख्यिकी

तैयार करने के लिए अध्ययन;

- (iv) विकलांगताओं के विभिन्न प्रकारों एवं स्तर के कारणों का अध्ययन;
- (v) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में आनुवंशिक अनुसंधान जिससे कि विकलांगता को कम से कम किया जा सके; और
- (vi) अग्रणी तकनीकी संस्थानों की सहायता से विकलांग व्यक्तियों के लिए कम लागत वाले, प्रयोक्ता हितैषी और टिकाऊ सहायक यंत्र और उपकरण विकसित करने के उद्देश्य से, अनुकूलन प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जिसमें चलन संबंधी निजी क्षमता बढ़ाने और मौखिक/गैर-मौखिक संवाद, दैनिक उपयोग वाली चीजों की डिजाइन में परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित होगा ।

54. समन्वय करने और अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू करने, परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रमाणित प्रशिक्षण इत्यादि के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पुनर्वास प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उचित हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर विकसित किया जाएगा ।

IX. खेल-कूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप

55. विकलांग व्यक्तियों को खेल-कूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए समान अवसर मिलना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

- (i) मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलापों एवं खेलकूद, होटलों, समुद्र-तटों, खेल परिसरों, सभागृहों, व्यायामशालाओं आदि को सुगम्य बनाना;
- (ii) मनोरंजन कार्यकलापों अथवा यात्रा अवसरों को आयोजित करने में शामिल ट्रेवल एजेंसी, होटल, स्वैच्छिक संगठन व अन्य, विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सभी को सेवाएं प्रदान करें;
- (iii) स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से, भिन्न-भिन्न खेल-कूद में विकलांग व्यक्तियों के बीच प्रतिभा की पहचान, की जाएगी;

- (iv) विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलकूद संगठन और सांस्कृतिक सोसाइटी बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी की सहायता के लिए तंत्र होगा; और
- (v) विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल-कूद में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया जाएगा।

कार्यान्वयन की जिम्मेवारी

56. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

57. राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए एक अंतर्मंत्रालयी निकाय का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरों पर इसी तरह की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इन निकायों में अग्रणी गैर-सरकारी संगठनों, विकलांग व्यक्ति संगठनों, समर्थक समूहों और माता-पिता/अभिभावकों के परिवार संघों सहित सभी स्टेक होल्डरों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राज्य और जिला स्तरों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन संबंधी मामलों के समन्वय के लिए जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की जिला स्तरीय समितियों के कार्यकरण में, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सहयोजित किया जाएगा।

58. गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, युवा कार्य और खेल-कूद मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, लोक उद्यम विभाग, राजस्व विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक पंचवर्षीय प्ररिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजनाएं बनायी जाएंगी जिनमें लक्ष्य और वित्तीय आबंटन नियत किए जाएंगे। इन मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में, वर्ष के दौरान हुई प्रगति का उल्लेख होगा।

59. केन्द्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपने सांविधिक दायित्वों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

60. इस राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका

होगी । ये स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ध्यान देंगी तथा जिला और राज्य योजनाओं से एकीकृत उचित कार्यक्रम तैयार करेंगी । ये संस्थाएं अपनी परियोजनाओं में विकलांगता से संबंधित घटकों को शामिल करेंगी ।

61. कार्यान्वयन के दौरान सृजित आधारभूत संरचना बनाए रखना और लम्बे समय तक उसका प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित होगा । समुदाय, अपने यहां स्वयं संसाधनों की व्यवस्था करके या निजी क्षेत्र के संगठनों से संसाधन जुटाकर मुख्य भूमिका निभाएं जिससे कि आधारभूत संरचना को बरकरार रखा जा सके और वर्तमान लागत को पूरा किया जा सके । इस कदम से न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ हल्का होगा बल्कि समुदाय और निजी उद्यमियों में अधिक जिम्मेदारी की भावना भी पैदा होगी ।

62. प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी । राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें कार्यान्वयन की स्थिति तथा पांच वर्षों के रोडमैप का उल्लेख किया जाएगा । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से राज्य नीति बनाने और कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा ।

* * * * *